(6)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 30/-

R 5479-II/16

1- सोबरनिया पत्नी जयराम चमार

2- रघुबीर पिता जयराम चमार

3- रामाधार पिता जयराम चमार

4- दादे उर्फ तेजबली पिता जयराम चमार

5- बब्बू उर्फ सीताराम पिता जयराम चमार

6- दाऊराम उर्फ सतीश पिता जयराम चमार

7- भईयाराम पिता जयराम चमार

8- मायाराम पिता बनाफर चमार

सभी निवासी ग्राम चटका, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

----- निगरानीकर्तागण

अधि० श्री आर.के.देव पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत 25-X-16

बनाम

1- जगरन पुत्री बनाफर चमार, पत्नी हीरालाल चमार

2- अभरन पुत्री बनाफर चमार, पत्नी कमला प्रसाद चमार

दोनों निवासी ग्राम ढोंटी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

-------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्र.क्र. 43/अपील/15-16, मे पारित आदेश दिनांक 13.10.2016, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(6)

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

निगरानी 5479–दो/2016

सोबरनिया आदि विरूद्ध जगरन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–2018	आवेदक अभिभाषक श्री आर0के0 देवपाण्डे एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अरूण साहू उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क श्रृवण किये। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम चटका की नामान्तरण पंजी कमांक 3 वर्ष 1999–2000 आदेश दिनांक 13–8–2000 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी पेश किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 13–10–2016 के द्वारा अनावेदकगण के म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन का निराकरण करते हुये विलम्ब को सदभाविक माते हुये अपील को समय–सीमा में मान्य किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 13–10–2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकों को बिना पक्षकार बनाये तथा सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया था जिसकी जानकारी होने पर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक यह सिद्ध करने में सफल रहे कि जानकारी दिनांक से उनके द्वारा जो अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष	

प्रस्तुत की गई है वह समय–सीमा में है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक का परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जब किसी प्रकार को पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना दिये बिना एकपक्षीय रूप से जो आदेश पारित किया जाता है तब उसकी जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य किया जाना चाहिए। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण की अपील को समय–सीमा में मान्य कर म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली का आदेश दिनांक 13–10–2016 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

4/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य